

प्रेषक,

मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन, लखनऊ ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष उ०प्र०।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 10 अप्रैल, 2024

विषय-राज्य सरकार द्वारा भूमि के क्रय अथवा राज्य सरकार के पक्ष में दान अथवा लीज के रूप में दी गई भूमि के विलेख के संबंध में।

महोदय /महोदया,

वर्तमान परिदृश्य में राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य द्वारा विलेखों के माध्यम से भूमि / अचल संपत्ति प्राप्त की जा रही है। वर्तमान में शासकीय प्रोजेक्ट हेतु भी यथासम्भव भूमि को सहमति के आधार पर सीधे क्रय किया जा रहा है। साथ ही शासन की विभिन्न पहलों से प्रेरित हो कर जनसामान्य के बहुत से निजी पक्षकार भी शासकीय परियोजनाओं / सुविधाओं की स्थापना हेतु शासन के पक्ष में भूमि निशुल्क दान कर रहे हैं।

2. उक्त के दृष्टिगत शासन के पक्ष में निष्पादित होने वाले विलेखों की संख्या बढ़ी है। साथ ही वर्तमान परिदृश्य में कार्य संचालन का सरलीकरण भी ease of doing business के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है।

पूर्व की व्यवस्था में श्री राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित होने वाले विलेखों का विधीक्षण करवाए जाने की व्यवस्था प्रावधानित की गई थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधि परामर्शी निदेशिका 2013 का प्रस्तर 11.02 ध्यान योग्य है - "11.02 (1) प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य शासकीय हस्तान्तरक से परामर्श लेना होगा- शासन के प्रत्येक विभाग के सभी अधिकारियों का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रत्येक विलेख का जिसके मानक प्रपत्र का उपयोग बिना सारवान परिवर्तन के नहीं किया जा सकता हो, निष्पादन किये जाने के पूर्व उसका आलेख्य शासकीय हस्तान्तरक द्वारा तैयार या परीक्षण कराये। हालांकि इस सम्बन्ध में सावधानी बरती जायगी कि शासकीय हस्तान्तरक को अनावश्यक निर्देश न किये जायें।"

3. विधीक्षण की आवश्यकता मात्र उन विलेखों के लिए है, जिनके लिए मानक प्रपत्र का उपयोग बिना सारवान परिवर्तन के नहीं किया जा सकता हो।

4. इस विषय में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-634/94-स्टा0नि0-2-2016-700(634)/2016 दिनांक 30 जून 2016 एवं शासनादेश संख्या-क0नि0-5-3302/11-2001-500(22)/2001, दिनांक 31 मई, 2001 को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित की जाती है:-

(i) श्री राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित होने वाले समस्त हस्तान्तरण, दान एवं पट्टा विलेख यथासम्भव इस शासनादेश के परिशिष्ट में संलग्न प्रारूप पर ही निष्पादित किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जायेंगे। ये प्रारूप इस हेतु न्याय विभाग के शासकीय हस्तान्तरक के द्वारा विधीक्षित किये गए हैं।

- (ii) मानक प्रारूप के प्रयोग हेतु प्रारूप के रिक्त स्थानों में मात्र सूचना (पक्षकारों एवं सम्पत्ति से सम्बंधित एवं अन्य आनुषंगिक सूचना) भरी जाएगी एवं किसी भी प्रकार की शर्तों को बढ़ाया अथवा घटाया नहीं जाएगा।
- (iii) यदि किसी विभाग को परिशिष्ट में संलग्न मानक प्रारूप अपने कार्य / प्रकरण विशेष हेतु अपर्याप्त अथवा विसंगत प्रतीत होते हैं, तो ऐसे में सम्बन्धित विभाग उचित प्रारूप बना कर उसे पृथक से शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवा सकते हैं। ऐसे में भी विभाग द्वारा प्रयास किया जाएगा कि प्रकरण में यदि एक से अधिक विलेखों का प्रयोग होना हो, तो वे प्रकरण हेतु एक मानक विलेख प्रारूप का विधीक्षण करवा लें, एवं उसकी सूचना स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को भी दे दें, जिससे प्रदेश के निबंधन कार्यालय ऐसे मानक प्रारूप से भिन्न हो सकें।
- (iv) प्रशासकीय विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी क्रेता/lessee/ दानग्रहिता के रूप में, श्री राज्यपाल की ओर से एवं पद के अधिकार से, विलेख पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रशासकीय विभाग द्वारा किसी एक अधिकारी को सम्बन्धित विलेख उपनिबंधक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। साथ ही उपनिबंधक के नाम इस आशय का एक पत्र प्रेषित किया जाएगा कि सम्बन्धित विलेख पर श्री राज्यपाल की ओर से एवं पद के अधिकार से हस्ताक्षर किए गए हैं, अतः निष्पादक अधिकारी को उपनिबंधक कार्यालय में उपस्थिति से मुक्त किया जाए एवं लेखपत्र को निबंधन हेतु स्वीकार किया जाए।

5. अस्तु, इस प्रकार के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक- हस्तान्तरण, दान एवं पट्टा विलेख के प्रारूप।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी उ०प्र० लखनऊ।
- 2- समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण उ०प्र०।
- 3- समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ०प्र०।
- 4- समस्त उपमहानिरीक्षक निबंधन / सहायक महानिरीक्षक निबंधन उ०प्र०।

आज्ञा से,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में पट्टा विलेख

यह पट्टा विलेख निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया है।

- क- श्री/श्रीमती/कु०
- ख- पुत्र/पुत्री/पत्नी
- ग- पेशा
- घ- व्यापार
- ङ- पता

पट्टादाता /प्रथम पक्ष

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी,(विभाग का नाम)शासन द्वारा नामित अधिकारी का नाम....पदनाम..... नामित अधिकारी का आधारसंख्या (Masked)/ या अन्य कोई परिचय पत्र

पट्टाग्रहीता/ द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष / पट्टादाता की परिभाषा से अभिप्राय उनके संबंधित वारिसों, उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, नामितियों, हस्तान्तरियों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों आदि से है और इसमें ये शामिल हैं। द्वितीय पक्ष / पट्टा ग्रहीता से अभिप्राय श्री राज्यपाल, की ओर से निष्पादन हेतु उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं विधि / शासकीय निर्देश द्वारा शासकीय पक्ष से इस सम्पत्ति के प्रयोग हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी से है।

सम्पत्ति का विस्तृत विवरण

1. संपत्ति का प्रकार-(प्लॉट/फ्लैट/मकान /दुकान /कृषि/वाणिज्यिक/ औद्योगिक/ अन्य..)
2. स्थित मोहल्ला/ग्राम-
3. परगना-
4. तहसील-
5. जनपद-
6. संपत्ति का विवरण-गाटा संख्या-.....खाता संख्या-.....यूनिक आई डी- भवन संख्या.....दुकान संख्या
7. हस्तान्तरित सम्पत्ति की चौहद्दी-पूर्व.....पश्चिम.....उत्तर...दक्षिण.....

(क्रमांक 8 से 24 तक उस दशा में भरे जायेंगे जब पट्टे की अवधि 30 वर्ष से अधिक हो)

8. रोड सेगमेंट/मार्ग की स्थिति-रोड सेगमेंट/मार्ग का नाम...../ चौड़ाई मीटर में.....
9. एक से अधिक मार्ग की स्थिति / रोड कार्नर की स्थिति
10. मापन की ईकाई -हेक्टेयर / मीटर
11. हस्तान्तरित संपत्ति का क्षेत्रफल ..
12. निर्माण की स्थिति- नहीं है/है (यदि है तो -फिनिशड/सेमी फिनिशड/अन्य.....)
13. निर्मित क्षेत्रफल -ईकाई मीटर (भूतल/ प्रथम तल/ द्वितीय तल/-....)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14. संपत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन कि स्थिति में)....
 15. निर्माण की श्रेणी-
 16. निर्माण की उम्र-
 17. पेड़ों का मूल्यांकन-
 18. बोरिंग/कुआँ /अन्य
 19. निर्मित क्षेत्रफल-
 20. कृषक भूमि की दशा में 200 मीटर की त्रिज्या में आवासीय/व्यावसायिक गतिविधियों की स्थिति-
.....
 21. अकृषक भूमि/आवासीय सम्पत्ति की दशा में 50 मीटर की त्रिज्या में व्यावसायिक गतिविधियों की स्थिति-.....
 22. पट्टादाता अनुसूचित जाति/ जनजाति का है या नहीं-.....
 23. अन्तरित सम्पत्ति विकाशशील/अधिसूचित क्षेत्र में शामिल है/नहीं है-.....
 24. कलेक्टर द्वारा जारी मूल्यांकन दर सूची प्रभावी दिनांक.....के पृष्ठ संख्या....कॉलमद्वारा निर्धारित दर रुपया / हेक्टेयर/वर्गमीटर निर्माण की दशा में दर रूपये प्रति वर्गमीटर
 25. मूल्यांकन दर सूची से आगणित मूल्य रूपये.....
- (क्रमांक 26 से 29 तक उस दशा में भरे जायेंगे जब पट्टे की अवधि 30 वर्ष या उससे कम हो)**
26. पट्टे की अवधिवर्ष.....माह.....
 27. अग्रिम/प्रीमियम की धनराशि रू०.....
 28. किराये की धनराशि (वार्षिक) रू०.....
 29. प्रतिभूति जमा, यदि कोई हो - रू०.....
 30. प्रथम पक्ष/ पट्टा दाता की संख्या-..
 31. द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता की संख्या-01
 32. प्रथम पक्ष का विवरण [नाम.. पिता/पति का नाम.. पता. ..मोबाइल नंबर....PAN...आधार संख्या (Masked)]
 33. द्वितीय पक्ष का विवरण – श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- विभाग का नाम, शासन द्वारा नामित अधिकारी का नाम....पदनाम.....विभाग का TAN नंबर...नामित अधिकारी का आधार संख्या (Masked) / या अन्य कोई परिचय पत्र
 34. विक्रेता के पक्ष में उक्त अचल सम्पत्ति के स्वामित्व/ मालिकाना हक निम्न स्रोत से प्राप्त हुआ है- विरासत/ उत्तराधिकार/ बैनामा /दान इत्यादि (विवरण)

यह पट्टा विलेख आज सन्..... के माह केवें दिन को तदनुसार शक् सम्वत् 19..... केमाह के.....वें दिन को श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी.....निवासी.....(जिसे एतदपश्चात् "पट्टादाता" कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा श्री.....,,, विभाग उत्तर प्रदेश सरकार (जिन्हें एतदपश्चात् "पट्टाग्रहीता" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया।

चूँकि पट्टादाता अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति का स्वामी है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा.....प्रयोजन से..... वर्ष के पट्टे पर लिया जाता है;

और चूँकि पट्टादाता उक्त पट्टा देने से सहमत है;

और चूँकि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शासनादेश संख्या....., दिनांक निर्गत किया जा चुका है।

अतः यह पट्टा विलेख निम्न का साक्षी है:-

1. यह कि उक्त संपत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है तथा उक्त संपत्ति को पट्टा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. यह कि उक्त संपत्ति को प्रथम पक्ष द्वारा इससे पूर्व किसी अन्य को विक्रय व दान व बंधक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया गया है, एवं वर्तमान में किसी अन्य पक्ष को पट्टा प्रचलन में नहीं है।
3. यह कि द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता ने.....वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए पट्टादाता से संपर्क किया है और पट्टादाता इसमें आगे दिए गए प्रतिबंध एवं शर्तों पर उक्त संपत्ति पट्टे पर देने के लिए सहमत है।
4. यह कि पट्टादाता ने उक्त सम्पत्ति को रूपये.....के वार्षिक/मासिक किराया व.....वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति का पट्टा कर दिया है।
5. यह कि पट्टाग्रहीता पट्टादाता द्वारा तय की गई तिथि (अर्थात् वर्ष के प्रत्येक माह के.....दिवस) अथवा इससे पहले किराए का भुगतान करेगा।
6. यह कि पट्टाग्रहीता ने रूपये..... अग्रिम वार्षिक/मासिक किराये के रूप में पट्टादाता को दिनांक..... को अदा कर दिया है।
7. यह कि पट्टाग्रहीता ने रूपये..... जमानत धनराशी पट्टा दाता को दिनांक..... को अदा कर दिया है। यह धनराशी पट्टादाता द्वारा पट्टाग्रहीता को पट्टा समाप्ति के 15 दिवस के भीतर वापस कर दिया जायेगा। यदि पट्टा समाप्ति पर दोनों पक्षकारों के सम्मिलित निरीक्षण पर यह पता चलता है कि पट्टागत सम्पत्ति की क्षति हुई है तो क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु जमानत की धनराशी से पट्टादाता समतुल्य धनराशी की कटौती कर लेगा।
8. यह कि पट्टाग्रहीता शासकीय योजना एवं विद्यमान नियमों के अनुसार देय समस्त आनुषंगिक भुगतान वहन करेगा।
9. यह कि संपत्ति /संपत्ति के गृह कर / अन्य कर में वृद्धि होने की स्थिति में कर देयता में पट्टे का उपभोग करने से जो भी समानुपातिक वृद्धि होगी उसे विशिष्ट रूप से पट्टाग्रहीता द्वारा वहन किया जाएगा।
10. यह कि पट्टाग्रहीता उक्त संपत्ति अथवा उसके किसी भाग का उपयोग एवं उपभोग शासकीय योजना एवं विद्यमान नियमों के अनुसार ही करेगा।
11. यह कि यह पट्टा सहमत समयावधि की समाप्ति पर स्वतः निरस्त हो जाएगा और इसका नवीनीकरण करने का विकल्प, इस विलेख के दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से बना रहेगा, और इस विकल्प के निष्पादन की दशा में पुनः निबंधन करवाना अनिवार्य होगा।
12. यह कि पट्टा अवधि की समाप्ति पर पट्टाग्रहीता पट्टादाता को संपत्ति उत्तम अवस्था में सौंपी जाएगी।
13. यह कि उक्त संपत्ति का प्रयोग केवल विधिसम्मत प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और किया जाएगा।
14. इस विलेख के पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी विवाद का निपटान जनपद स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के तहत किया जाएगा।
15. राज्य सरकार ने उपरोक्त सम्पत्ति पट्टे में प्राप्त करने के लिए शासनादेश संख्या **(वर्तमान में प्रस्तावित शासनादेश की संख्या यहाँ आएगी)** स्टाम्प एवम रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक **(वर्तमान में प्रस्तावित शासनादेश की तिथि यहाँ आएगी)** में प्रावधानित उपबंधों के अनुपालन में श्री(शासन द्वारा नामित अधिकारी).... (पदनाम)..... (विभाग का नाम) विभाग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को पट्टा ग्रहीता श्री राज्यपाल की ओर से एवं पद के अधिकार से इस विलेख को निष्पादित करने हेतु शासन की अनुमति संख्या.....दिनांक...द्वारा नामित किया गया है।
16. इस प्रकार प्रथम पक्ष अर्थात् पट्टादाता द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता उपरोक्त शर्तों के अधीन विलेख का निष्पादन किया। अतएव इस पट्टा विलेख में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किए।

अनुसूची	
(सम्पत्ति का विवरण)	
.....	
प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
नाम	श्री राज्यपाल की ओर से एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
पिता/पति का नाम ..	नाम
स्थायी पता...	पदनाम ..
अस्थायी पता...	कार्यालय पता...
व्यवसाय परिचय पत्र विवरण/ आधार (मास्कड)	विभाग परिचय पत्र विवरण/ आधार (मास्कड)
मोबाइल नंबर...	आधिकारिक मोबाइल नंबर...
	(मोहर)
गवाह-1	गवाह-2
नाम	नाम
पिता/पति का नाम ..	पिता/पति का नाम ..
स्थायी पता...	स्थायी पता...
अस्थायी पता...	अस्थायी पता...
व्यवसाय परिचय पत्र विवरण/ आधार (मास्कड)	व्यवसाय परिचय पत्र विवरण/ आधार (मास्कड)
मोबाइल नंबर...	मोबाइल नंबर...

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।